न्यायालय, अपर समाहर्त्ता गुमला

आदेश

सुखन लोहरा
बनाम
बाबुलाल साहु

वाद सं0 :– 06/2018–19
वाद का प्रकार :– SAR Appeal

अपीलार्थी श्री सुखन लोहरा पिता–स्व0 सोमरा लोहरा ग्राम–कुदरा थाना–सिसई जिला–गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के एस0ए0आर0 वाद संख्या–07/2015'–2016 में दिनांक–09.04.2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर उपायुक्त गुमला के न्यायालय में अपील दायर किया गया था। उपायुक्त गुमला द्वारा उक्त वाद को सुनवाई हेतु अधेहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया गया तत्पश्चात उभय पक्षो को नोटिस निर्गत किया गया तथा इस वाद से संबंधित निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम–कुदरा के खाता नं0–86 प्लॉट नं0–918 रकबा–0.53 एकड से संबंधित है। उनके द्वारा बताया गया कि खाता नं0–86 का खतियान रिविजनल सर्वे में सुखन लोहरा व घुरन लोहरा के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी सुखन लोहरा की मृत्यु दिनांक–02.10.2018 को होने के पश्चात उनके दो पुत्र जितबाहन लोहरा एवं सुमीत लोहरा को पक्षकार बनाया गया है।उनके द्वारा यह बताया गया की अपीलार्थी के पिता व चाचा द्वारा कोई भी बिक्रय पत्र उत्तरवादी के पिता सखी साहु को नही लिखा है किसी अन्य व्यक्ति से धोखाधडी कर लिखवाया गया है। अपीलार्थी गण तथा उनके पूर्वज लोहरा जाति के अनुसूचित जन जाति से संबंधित है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जमीन की खरीद बिक्री की जा सकती है। चूँकि उत्तरवादी के पिता अनुसूचित जन जाति के सदस्य नही है। जमीन धोखाधडी से प्राप्त किया है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी लोहरा जाति से संबंधित है जो कि पिछडी जाति में नही आते है, जबकि निम्न न्यायालय के द्वारा (आवेदक) जो इस वाद में अपीलार्थी है उसको लोहार जाति मानते हुए पिछडी जाति से संबंधित है यह कह कर उत्तरवादी के पक्ष में निर्णय दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा स्थानीय जाँच, रहन सहन खान पान एवं लोकाचार के आधार पर अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जिसका जाति प्रामण पत्र अनुमण्डल कार्यालय द्वारा निर्गत है उनके द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय झारखण्ड उच्च की रुलिंग 2004 (3) JLJR 657 दाखिल किया गया है जिसमें कोई भी पट्टा नाजायज व अवैधानिक है तो उसमें परिसीमा अधिनियमों के प्रावधान लागू नही होते है। इस वाद में उत्तरवादी के पिता अनुसूचित जन जाति के सदस्य नही थे के पक्ष में निष्पादित है जो पूर्णतः अवैधानिक है इसलिए इनके बिक्रय

Scanned with CamScanner

पत्र में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें, उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रावधान को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है।

उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नही है। अत: निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत की जाय।

अपीलार्थी के द्वारा साक्षय के रुप में निम्नलिखित कागजातो की छाया प्रति समर्पित किया गया है।

1 जाति प्रमाण पत्र

2 खतियान की छाया प्रति

3 JLJR 2004(3) के 657 दाखिल

उत्तवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित वहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि आर0एस0खाता नं0–86 मौजा कुदरा थाना सिसई जिला गुमला का खतियान सुखन लोहार वो घुरन लोहार के खतियान में जाति (कौम) लोहार दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता लोहार जाति के है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि लोहार जाति अनुसूचित जन जाति के श्रेणी में नही आते है। इसलिए अपीलार्थी के आवेदन CNT ACT. के आधार पर मेनटेनेवल नही है। इसलिए अपीलार्थी के आवेदन खारिज करने योग्य है। उनके द्वारा यह बताया गया कि अपीलार्थी के पूर्वज झाडु लोहार एवं सोमरा लोहार पिता घुरन लोहार के द्वारा दिनांक–13.01.1968 को निबंधित बिकी पट्टा सं0–157/1968 के द्वारा उत्तरवादी बाबुलाल साहु के पिता सुखी साहु को बिकी कर दिया। जमीन खरीदने के बाद उत्तरवादी के पिता भूमि पर दखलकार हुए तथा अपने नाम से दाखिल खारिज करा कर प्रतिवर्ष सरकार को मालगुजारी दे रहें है। उत्तरवादी के पिता के सुखी साहु के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बाबुलाल साहु जमीन पर दखलकार चले आ रहे है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि सिसई अंचल से जो जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है उसमें भी उत्तरवादी का दखल 1968 से बताया गया है। यदि अपीलार्थी अनुसूचित जन जाति के सदस्य होते तब भी वे धारा 71A CNT ACT अन्तर्गत तीस वर्षो के अन्दर ही जमीन वापसी का मुकदमें दायर कर सकते थे। लेकिन अपीलार्थी द्वारा 48 वर्ष के बाद यह वाद लाया गया है जो Limitation Act. Adverse Possession से वाधित है जो खारिज करने योग्य है। उनका यह भी कहना है कि सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी निम्न न्यायालय में यह मंतव्य दिया गया है कि लोहार जाति पिछडी जाति में आते है और पिछडी जाति के सदस्य को जमीन वापसी का आवेदन देने का अधिकार नही है। इस तरह यह अपील चलने योग्य नही है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित बताते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा साक्ष्य के रुप में निम्न न्यायालय के अभिलेख में निम्नलिखित दस्तावेज की छाया प्रति समर्पित किया गया है।

1 निबंधित बिकी पट्टा सं0–157 दिनांक–13.01.68 की छाया प्रति

Scanned with CamScanner

2 मालगुजारी रसीद 11 फरद में
3 बन्डा परचा
4 खतियान की छाया प्रति
5 ए0आई0आर0–1973 पटना पेज नं0–309
6 पी0एन0जे0आर0–1994 पेज नं0–621
7 जे0सी0आर0–2006(4) पेज नं0–140

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस, रुलिंग एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी लोहार जाति के सदस्य है जो अनुसूचित जन जाति के श्रेणी में नही आते है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार,कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग राँची के पत्रांक–07/जा. नि.019–08/04 का 355 राँची दिनांक–19.01.2006 के आधार पर लोहार जाति को स्थानीय जाँच रहन सहन ,वेश भुषा, खान पान एवं लोकाचार तथा संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है,जो वर्ष 2006 से लागू है जबकि अपीलार्थी के पिता–सोमरा लोहार एवं चाचा झाडु लोहार ने विवादग्रस्त भूमि को निबंधित पट्टा सं0–157/1968 से बिक्री कर दिया गया है उस समय लोहार जाति अनुसूचित जन जाति के सदस्य नही थे।

उपरोक्त परिपेक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि की बिक्री अपीलार्थी के पिता के द्वारा वर्ष 1968 में किया है उस वक्त लोहार जाति अनुसूचित जन जाति के सदस्य नही थे।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

17/2/21
अपर समाहर्त्ता,
गुमला

17/2/21
अपर समाहर्त्ता,
गुमला

Scanned with CamScanner